न्यायालयः— अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना—कुचामन

बउनवान—मोहम्मद आरिफ बनाम जाकिर हुसैन व अन्य
किस्म—दीवानी मूल नंबर—28/17 क.न.—90/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
08-01-26	वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अधिवक्ता उपस्थित। वादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14(3) सपठित धारा 151 सीपीसी एवं आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 के संबंध में बहस सुनी गई जिनका निस्तारण किया जा रहा है। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में वादी आवश्यक दस्तावेजात पेश करना चाहता है जिनमें जमाबंदी दिनांक 04.07.84 की प्रमाणित प्रति, मोहम्मद आरिफ का असल मूल निवास व असल राशन कार्ड व परिचय पत्र की फोटोप्रति है। उक्त दस्तावेजात हस्तगत वाद से संबंधित है जो न्याय निर्णय के लिए आवश्यक दस्तावेजात है अतः उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने मौखिक रूप से आपत्ति जाहिर करते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। जहां तक कि वादी अधिवक्ता ने आदेश 7 नियम 14(3) सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के संबंध में दौराने बहस तर्क दिया एवं पेश दस्तावेजो का अवलोकन किया तो पेश दस्तावेजात— जमाबंदी दिनांक 04.07.84 की प्रमाणित प्रति, मोहम्मद आरिफ	

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	का असल मूल निवास व असल राशन कार्ड व परिचय पत्र की फोटोप्रति है। परिचय पत्र की फोटोप्रति के संबंध में वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि असल परिचय पत्र दौराने साक्ष्य पत्रावली पर पेश कर देंगे। उक्त दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण में वर्णित तथ्यो से संबंधित होना प्रथम दृष्टया प्रकट है चूंकि **हस्तगत प्रकरण सन् 2017 से लंबित होकर 08 वर्ष पुराना प्रकरण है जिसके माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से शीघ्र निस्तारण के निर्देश है।** चूंकि अधिवक्ता वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र देरीना पेश करने का कोई उचित कारण अंकित नही किया है अतः अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजात–जमाबंदी दिनांक 04.07.84 की प्रमाणित प्रति, मोहम्मद आरिफ का असल मूल निवास व असल राशन कार्ड व परिचय पत्र की फोटोप्रति को **3000/–रूपए** हर्जे पर रिकॉर्ड पर लिये जाते है। **एक अन्य प्रार्थना पत्रः–** प्रतिवादीगण संख्या 01 अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 सीपीसी के संबंध में निवेदन किया कि हस्तगत वाद साक्ष्य वादी की स्टेज पर नियत है और प्रतिवादीगण वाद के निस्तारण के लिए दस्तावेजात पेश करना चाहते है जिनमें– परिवाद अंतर्गत धारा 420,467,468,471,167,120बी आईपीसी की प्रमाणित प्रति, एफआईआर नंबर 31/20, 366/17 पुलिस थाना मकराना की प्रमाणित प्रति, पुलिस थाना मकराना को दिनांक 24.09.2017 को दी गई रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, मोहम्मद आरिफ द्वारा जल कनेक्शन हेतु दिए गए आवेदन व नए जल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	कनेक्शन हेतु जमा कराई गई पत्रावली की प्रमाणित प्रति, प्रतिवादी के फर्जी हस्ताक्षर कर लिए गए विधुत कनेक्शन की पत्रावली की प्रमाणित प्रति, जाकिर हुसैन के नाम विधुत कनेक्शन के असल बिल, दिनांक 23.09.1976 के बेचान की प्रमाणित प्रति, मोहम्मद आरिफ द्वारा लिए गए जल कनेक्शन की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां, कार्यालय सहायक अभियंता मकराना असल पत्र दिनांक 01.12.2021, तहसीलदार मकराना के मुकदमा नंबर 57/2001 की प्रमाणित प्रतियां, तहसीलदार मकराना से मिलावट कर बनाई गई अवैध व फर्जी मौका रिपोर्ट व शिकायत होने पर वापस बनाई गई मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां, खसरा नंबर 760 के नामन्तकरण की प्रमाणित प्रति, खान संख्या 29/1 की खान विभाग की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां, मोहम्मद हनीफ, रूकैया बेगम व मोहम्मद हारून का मृत्यु प्रमाण पत्र है। उक्त दस्तावेजात वाद के न्याय निर्णय हेतु आवश्यक है अतः वर्णित दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अधिवक्ता वादी ने मौखिक रूप से आपत्ति जाहिर कर उक्त प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खारिज फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। जहां तक कि प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के संबंध में कथन किया कि प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र के साथ पेश दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जावें इस संबंध में वादी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मात्र वाद	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला नीमकाथाना-सुधामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम इस की मे जारी
	में अनावश्यक देरी करने के आशय से प्रार्थना पत्र पेश किया है अतः उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर नही लिया जावें इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश दस्तावेजात का न्यायालय के द्वारा अवलोकन किया गया जिनमें:— परिवाद अंतर्गत धारा 420,467,468,471,167,120बी आईपीसी की प्रमाणित प्रति, एफआईआर नंबर 31/20, 366/17 पुलिस थाना मकराना की प्रमाणित प्रति, पुलिस थाना मकराना को दिनांक 24.09.2017 को दी गई रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, मोहम्मद आरिफ द्वारा जल कनेक्शन हेतु दिए गए आवेदन व नए जल कनेक्शन हेतु जमा कराई गई पत्रावली की प्रमाणित प्रति, प्रतिवादी के फर्जी हस्ताक्षर कर लिए गए विधुत कनेक्शन की पत्रावली की प्रमाणित प्रति, जाकिर हुसैन के नाम विधुत कनेक्शन के असल बिल, दिनांक 23.09.1976 के बेचान की प्रमाणित प्रति, मोहम्मद आरिफ द्वारा लिए गए जल कनेक्शन की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां, कार्यालय सहायक अभियंता मकराना असल पत्र दिनांक 01.12.2021, तहसीलदार मकराना के मुकदमा नंबर 57/2001 की प्रमाणित प्रतियां, तहसीलदार मकराना से मिलावट कर बनाई गई अवैध व फर्जी मौका रिपोर्ट व शिकायत होने पर वापस बनाई गई मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां, खसरा नंबर 760 के नामन्तकरण की प्रमाणित प्रति, खान संख्या 29/1 की खान विभाग की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां है **तथा अन्य दस्तावेजात—** मोहम्मद हनीफ, रूकैया बेगम व मोहम्मद हारून का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रतियां है इस संबंध में जहां तक प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना	

Aise
(अपर सिविल न्यायाधीश)
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	पत्र के साथ पेश उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिए जाने का प्रश्न है ऐसे में उक्त न्यायिक दृष्टांत से न्यायालय को मार्गदर्शन प्राप्त होता है:– Civil Appeal no. 4096/2022 (@ SLP (c) 7452/2022) LEVAKU PEDDA REDDAMMA & OTHERS VS GOTTUMUKKALA VENKATA SUBBAMMA & OTHERS We find that the trial Court as well as the High Court have gravely erred in law in not permitting the defendants to produce documents, the relevance of which can be examined by the trial Court on the basis of the evidence to be led, but to deprive a party to the suit not to file documents even if there is some delay will lead to denial of justice. Is is well settled that rules of procedure are hand-maid of justice and, therefore, even if there is some delay, the trial Court should have imposed some costs rather than to decline the production of the documents itself. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपाद्धित किया है कि प्रतिवादीगण जिन दस्तावेजात पर निर्भर करते है उन दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाना चाहिए, दस्तावेजात की सुसंगतता न्यायालय द्वारा पक्षकारान की ओर से जो साक्ष्य पेश की जाती है उस आधार पर की जाती है और प्रतिवादी यदि दस्तावेज विलंब से पेश करते है तो उस विलंब के लिए विचारण न्यायालय द्वारा कॉस्ट अधिरोपित की जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत की रोशनी में प्रतिवादीगण द्वारा पेश दस्तावेजात की सुसंगता पर विचार इस स्टेज पर नही किया जा सकता है चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दस्तावेजात को विलंब से पेश करने का कोई उचित कारण अंकित नही किया है अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित	

अपर जिला न्यायाधीश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दस्तावेजात :– परिवाद अंतर्गत धारा 420,467,468,471,167,120बी आईपीसी की प्रमाणित प्रति, एफआईआर नंबर 31/20, 366/17 पुलिस थाना मकराना की प्रमाणित प्रति, पुलिस थाना मकराना को दिनांक 24.09.2017 को दी गई रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, मोहम्मद आरिफ द्वारा जल कनेक्शन हेतु दिए गए आवेदन व नए जल कनेक्शन हेतु जमा कराई गई पत्रावली की प्रमाणित प्रति, प्रतिवादी के फर्जी हस्ताक्षर कर लिए गए विधुत कनेक्शन की पत्रावली की प्रमाणित प्रति, जाकिर हुसैन के नाम विधुत कनेक्शन के असल बिल, दिनांक 23.09.1976 के बेचान की प्रमाणित प्रति, मोहम्मद आरिफ द्वारा लिए गए जल कनेक्शन की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां, कार्यालय सहायक अभियंता मकराना असल पत्र दिनांक 01.12.2021, तहसीलदार मकराना के मुकदमा नंबर 57/2001 की प्रमाणित प्रतियां, तहसीलदार मकराना से मिलावट कर बनाई गई अवैध व फर्जी मौका रिपोर्ट व शिकायत होने पर वापस बनाई गई मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां, खसरा नंबर 760 के नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति, खान संख्या 29/1 की खान विभाग की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियों को **3000/–रूपए** रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से रिकॉर्ड पर लिये जाते है, **शेष दस्तावेजात**–मोहम्मद हनीफ, रूकैया बेगम व मोहम्मद हारून के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति होने से रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 15.01.2026 को पेश हो। अपर जिला न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन